उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांक: 797–E/Policy/Allowances
दिनांक : 12/12/2017

RBE No.159/2017
NCR PS No.5195/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub- Implementation of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission as accepted by the Government-Health and Malaria Allowance.

The copy of Railway Board's letter No E(P&A)i-2017/SP-1/Genl-2 dated 27.10.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action please.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

12.12.17

(V.P. Singh)
pSr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

PC-VII No. 70
RBE No. 159/2017

No. E(P&A)I-2017/SP-1/Genl-2

New Delhi, dated 27.10.2017.

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.
NCR, Allahabad

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission as accepted by the Government – Health and Malaria Allowance.

*****

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to revision of allowances, the President is pleased to revise the rates of Health and Malaria Allowance, granted to Health and Malaria Inspectors (Health Inspectors) in Indian Railways. The allowance will be paid as per cell R3H3 of the Risk and Hardship Matrix. The rate of this allowance will be ₹1000/- per month upto level 8 in Pay Matrix (VII CPC) and ₹1200/- per month for level 9 and above in Pay Matrix(VII CPC).

2. The rate of this allowance will further increase by 25 percent each time DA rises by 50 percent.

3. The revised rates of allowance shall be admissible with effect from 1st July, 2017.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Please acknowledge receipt.

Anil Kumar
(Anil Kumar)
Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

No. E(P&A)I-2017/SP-1/Genl-2

New Delhi, dated 27.10.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

No. E(P&A)I-2017/SP-1/Genl-2

New Delhi, dated 27.10.2017

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.(with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.(with 5 spares).

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
RB 05 06 NOV 2017
महाप्रबन्धक सचिव

PCPO

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

RBL-2017-2225
6-11-17

पीसी-VII सं. 70
आरबीई नं. 159/2017

सं. ई(पीएंडए)I-2017/एसपी-1/जनरल-2

नई दिल्ली, दिनांक 27.10.2017

महाप्रबंधक एवं प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: भारत सरकार द्वारा यथा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन - स्वास्थ्य और मलेरिया भत्ता।

******

भत्तों के संशोधन से संबंधित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति भारतीय रेलों में स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षकों (स्वास्थ्य निरीक्षक) को देय स्वास्थ्य तथा मलेरिया भत्ते की दरों को सहर्ष संशोधित करते हैं। ये भत्ते जोखिम एवं कठिनाई (Risk and Hardship) मैट्रिक्स के सेल आर3एच3 के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। इस भत्ते की दर पे मैट्रिक्स (VII सीपीसी) में लेवल 8 तक के लिए प्रतिमाह ₹ 1000/- और पे मैट्रिक्स (VII सीपीसी) में लेवल 9 तथा उससे ऊपर के लिए प्रतिमाह ₹ 1200/- होगी।

2. प्रत्येक बार महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर इस भत्ते की दर में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।

3. इस भत्ते की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगी।

4. इसे इस मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

5. कृपया पावती दें।

13.11.17
PCPO

अनिल कुमार
(अनिल कुमार)
उप निदेशक/ई(पीएंडए)-I
रेलवे बोर्ड

प्र0 मुकाधि0	
मुकाधि0 (प्रशा0)	13/11/17
मुकाधि0 (आई0 आर0)	
उप मुकाधि0 (राज0)	
उप मुकाधि0 (मुख्या0)	14/11
उप मुकाधि0 (आई0आर0)	
अध्यक्ष/रे0भ0प्र0	
प्र0 का0 अधि0 (राज)	
प्र0 का0 अधि0 (औ0सं0)	
प्र0का0 अधि0 (मुख्या0)	
सकाधि0 (आई0आर0)	
सकाधि0 (भर्ती0)	
मु0 कार्या0 अधी0/कार्या0 अधी0	

ALLOWANCE